रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223087 CG-DL-E-17112020-223087

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] No. 480] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सं. स्टैंड्स/एसपी-15/टी(टी(आईएमएसटी).-कितपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आक्षेप या सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

5473 GI/2020 (1)

प्रारुप विनियम

- 1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 है।
- 2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्वंधन) विनियम, 2011 में,-
 - (क) कतिपय सम्मिश्रनो के विक्रय का प्रतिषेध से सम्बंधित विनियम 2.1 में, उप विनियम 2.1.1 के खंड (10) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जायेगा. अर्थात.-
 - "(11) 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके बाद निर्मित सरसों के तेल से युक्त कोई भी बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल।"
 - (ख) कतिपय उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन से सम्बंधित विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 के खंड (11) में, सिम्मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल शब्दों जन्हा भी ये हो के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा. अर्थात.-

"बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन.-III/4/असा./341/2020-21]

- नोट :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:-
 - (i) फा.सं.4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013.
 - (ii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016,दिनांक 23 अगस्त, 2016
 - (iii) फा.सं.मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016
 - (iv) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 31 जुलाई, 2018 और
 - (v) फा. सं. स्टैंड्स/ऐडीटिव-03/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, दिनांक 21 जुलाई, 2020।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

Ne Delhi, the 10th November, 2020

No. Stds/SP-15/T(T(IMST).—The Government of India, after due deliberation has directed Food Safety and Standards Authority of India to prohibit blending in mustard oil and to facilitate manufacture and sale of pure mustard oil for domestic consumption. Consequently, the following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

- 1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2020.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,-
 - (A) in regulation 2.1 relating to "Sale of certain admixtures prohibited", in sub-regulation 2.1.1, after clause (10) the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(11) Any Multi sourced edible vegetable oil containing Mustard Oil manufactured on or after 1st October, 2020."
 - (B) in regulation 2.3 relating to "Prohibition and Restriction on sale of certain products", in sub-regulation 2.3.14, in clause (11) for the words "Blended Edible Vegetable Oil" wherever they occur, the following shall be substituted, namely: -

"Multi sourced edible vegetable oil"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./341/2020-21]

- **Note. -** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:
 - (i) F. No.4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013,
 - (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016
 - (iii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
 - (iv) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018 and
 - (v) F. No. stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the21st July, 2020.